



# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



शशि भूषण कुमार, भा0प्र0से0  
कार्यपालक निदेशक –सह–  
सचिव, स्वास्थ्य विभाग

पत्रांक: SHSB/GA/FP/2091/2016/...684.0

सेवा में,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव  
जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल

पटना, दिनांक: 30/1/17

विषय: FMR Code: A.3.1.3 (Compensation Package for Female Sterilization), FMR Code: A.3.1.4(Compensation Package for Male Sterilization) एवं FMR Code A.3.2.3 (PPIUCD Services) से संबंधित वित्तीय दिशा-निर्देश में संशोधन के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि परिवार कल्याण ऑपरेशन (महिला बंध्याकरण/पुरुष नसबंदी) एवं प्रसवोपरान्त कॉपर-टी संस्थापन के उपरान्त लाभार्थियों, सेवा प्रदाताओं एवं उत्प्रेरकों को क्रमशः क्षतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के RoP मद संख्या A.3.1.3 (Compensation Package for Female Sterilization), A.3.1.4(Compensation Package for Male Sterilization) एवं A.3.2.3 (PPIUCD Services) में राशि आवंटित है।

विदित हो कि 7 राज्यों के 145 उच्च प्रजनन दर वाले जिलों में "मिशन परिवार विकास" 10 नवम्बर 2016 के प्रभाव से संचालित किया जाना है, जिसमें बिहार राज्य के पटना एवं अरवल जिलों को छोड़कर बाकी सभी 36 जिलों में "मिशन परिवार विकास" संचालित करने हेतु निदेशित था। इस मिशन के तहत परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत उत्प्रेरक, सेवा प्रदाता एवं लाभार्थी को दी जाने वाली प्रोत्साहन व क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोत्तरी की गई है।

डा० तेजा राम, उपायुक्त (परिवार नियोजन-II), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- N.11023/4/2016 - परिवार नियोजन -II दिनांक 11 जनवारी 2017 के माध्यम से अरवल जिला को "मिशन परिवार विकास" में सम्मिलित कर लिया गया है।

तदनुसार मद संख्या A.3.1.3 (Compensation Package for Female Sterilization), A.3.1.4(Compensation Package for Male Sterilization) एवं A.3.2.3 (PPIUCD Services) के दिशा-निर्देश में अरवल जिला को सम्मिलित करते हुये आवश्यक कार्यार्थ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक- संशोधित दिशा-निर्देश।

विश्वामभाजन

(शशि भूषण कुमार)





# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

शशि भूषण कुमार, भा0प्र0से0  
कार्यपालक निदेशक –सह–  
सचिव, स्वास्थ्य विभाग

पत्रांक: SHSB/GA/FP/2091/2016/.....

सेवा में,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव  
जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल

पटना, दिनांक: .....

विषय: FMR Code: A.3.1.3 (Compensation Package for Female Sterilization), FMR Code: A.3.1.4(Compensation Package for Male Sterilization) एवं FMR Code A.3.2.3 (PPIUCD Services) से संबंधित वित्तीय दिशा-निर्देश में संशोधन के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि परिवार कल्याण ऑपरेशन (महिला बंध्याकरण/पुरुष नसबंदी) एवं प्रसवोपरान्त कॉपर-टी संस्थापन के उपरान्त लाभार्थियों, सेवा प्रदाताओं एवं उत्प्रेरकों को क्रमशः क्षतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के RoP मद संख्या A.3.1.3 (Compensation Package for Female Sterilization), A.3.1.4(Compensation Package for Male Sterilization) एवं A.3.2.3 (PPIUCD Services) में राशि आवंटित है।

विदित हो कि 7 राज्यों के 145 उच्च प्रजनन दर वाले जिलों में "मिशन परिवार विकास" 10 नवम्बर 2016 के प्रभाव से संचालित किया जाना है, जिसमें बिहार राज्य के पटना एवं अरवल जिलों को छोड़कर बाकी सभी 36 जिलों में "मिशन परिवार विकास" संचालित करने हेतु निदेशित था। इस मिशन के तहत परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत उत्प्रेरक, सेवा प्रदाता एवं लाभार्थी को दी जाने वाली प्रोत्साहन व क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोत्तरी की गई है।

डा० तेजा राम, उपायुक्त (परिवार नियोजन-II), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- N.11023/4/2016 - परिवार नियोजन -II दिनांक 11 जनवारी 2017 के माध्यम से अरवल जिला को "मिशन परिवार विकास" में सम्मिलित कर लिया गया है।

तदनुसार मद संख्या A.3.1.3 (Compensation Package for Female Sterilization), A.3.1.4(Compensation Package for Male Sterilization) एवं A.3.2.3 (PPIUCD Services) के दिशा-निर्देश में अरवल जिला को सम्मिलित करते हुये आवश्यक कार्यार्थ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक- संशोधित दिशा-निर्देश।

विश्वासभाजन  
ह०/-

(शशि भूषण कुमार)

ज्ञापांक सं.: 6840 पटना, दिनांक: 30/1/17

प्रतिलिपि:

- जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मगध प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी ACMO/जिला परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार (पटना जिला छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार (पटना जिला छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, रा0स्वा0समिति, बिहार को बटज शीट एवं वित्तीय दिशा-निर्देश की प्रति Upload करने हेतु प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक  
सह  
सचिव, स्वास्थ्य विभाग



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,  
पटना- 800 014,

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,  
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

कार्यक्रम का नाम : महिला बंध्याकरण के लिए क्षतिपूर्ति राशि  
(Compensation Package for Female Sterilization)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष- A.3

बजट क्रम संख्या : एफ०एम०आर० कोड संख्या - A.3.1.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत लाभार्थी, प्रेरक एवं सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति/प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

इस संदर्भ में संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक D.O. No. N. 11023/2/2016-F.P. दिनांक 10 नवम्बर 2016 के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत लाभार्थी, प्रेरक एवं सेवा प्रदाताओं को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति/प्रोत्साहन राशि को निम्नांकित तालिकानुसार 10 नवम्बर 2016 के प्रभाव से किया जाना है:

A. सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों हेतु: (सभी राशि रुपये में)

SN	Procedure Details of the package	Tubectomy (महिला बंध्याकरण)	
		बंध्याकरण	प्रसवोत्तर बंध्याकरण (PPS*)
1	Acceptor	2000	3000
2	Motivator/ASHA	300	400
3	Drugs and dressings	100	100
4	Surgeon	200	325
5	Anaesthetist/Assisting MO (if any)	50	75
6	Nurse/ANM	40	50
7	OT technician/helper	40	50
8	Clark/documentation	30	-
9	Refreshment	20	-
10	Miscellaneous	20	-
<b>Total</b>		<b>2800</b>	<b>4000</b>

\*PPS: (Post Partum Sterilisation) immediately or within 7 days of delivery.

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित दर महिला बंध्याकरण हेतु सभी जिले (पटना जिला को छोड़कर) के सरकारी अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पताल में प्रभावी होंगी।

नोट:

1. लाभार्थी जिनका प्रसव (Home/Institution Delivery) के पश्चात् से 7 दिनों के अंदर तक बंध्याकरण संपादित किया जाता है तो क्षतिपूर्ति राशि, प्रसवोपरान्त बंध्याकरण (Post Partum Sterilization) के प्रावधानों के अन्तर्गत देय होगा।
2. जिस संस्थान में प्रसवोपरान्त बंध्याकरण संपादित किया जाता है, उसी संस्थान से लाभार्थी, उत्प्रेरक एवं सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति/प्रोत्साहन राशि दिया जाना है।

B. प्रत्यायित निजी नर्सिंग होम में महिला बंध्याकरण हेतु निचे तालिका के अनुसार वर्णित राशि सभी जिलों (पटना जिला को छोड़कर) में देय है।

निजी प्रत्यायित सेवा प्रदाता हेतु (सभी राशि रुपये में)

.N.	Procedure	Tubectomy	PPS
1	Facility	2500	3000
2	Acceptor	1000	1000
<b>Total</b>		<b>3500</b>	<b>4000</b>

14  
DO-FP

Handwritten signature and initials

Handwritten initials

प्रत्यायित निजी नर्सिंग होम को नियमानुसार भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति से देय होगा। जिसके तहत संबंधित संस्थान में समपन्न किये गये बंध्याकरण ऑपरेशन के लाभार्थी का बैंक पासबुक की छायाप्रति जिला स्वास्थ्य समिति में सभी उपयुक्त दावा दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तदनोपरान्त जिला स्वास्थ्य समिति संबंधित लाभार्थी को प्रस्तुत किये गये सूची एवं पासबुक का मिलान करते हुये उनके खाते में देय राशि प्रति लाभार्थी 1000/- जमा करायेंगे। तत्पश्चात् ही उक्त संबंधित संस्था को लाभार्थी के अनुसार प्रति केस 2500/- महिला बंध्याकरण के लिए एवं 3000/- PPS के लिए राशि दिया जाना है।

C. निजी सर्जरी टीम जो कि महिला बंध्याकरण सेवाएँ सरकारी संस्थानों में जाकर देते हो को इसके तहत निम्नांकित राशि देय है:

(Max. 30 cases/ day)	Tubectomy
Acceptor	2000
Motivator/ASHA	300
Clerks/documentation	30
Private Provider	1170
TOTAL	3500

लाभार्थी के Pre Operative Examination, Operation, Post Operative Care की पूर्ण जबावदेही प्रत्यायित निजी संस्थान की होगी तथा लाभार्थी के Mobilization, Camp Management, Documentation एवं क्षतिपूर्ति राशि इत्यादि का भुगतान की पूर्ण जबावदेही संबंधित सरकारी स्वास्थ्य संस्थान की होगी, जहाँ महिला बंध्याकरण सम्पन्न हुआ है।

D. निजी चिकित्सक (सर्जन/मुर्च्छक) जो सरकारी संस्थान में सरकारी टीम की सहायता से परिवार नियोजन सेवा प्रदान करते हों तो इसके तहत निम्नांकित प्रतिपूर्ति राशि देय है:

	Tubectomy
Only Surgery	200
Local Anaesthesia/Anaesthetist	50
<b>Total</b>	<b>250</b>

लाभार्थी के Mobilization, Pre Operative Examination, Post Operative Care, क्षतिपूर्ति राशि इत्यादि का भुगतान तथा सर्जन के अलावे ऑपरेशन से संबंधित सभी प्रकार के उपयुक्त व्यवस्था की पूर्ण जबावदेही संबंधित सरकारी स्वास्थ्य संस्थान की होगी।

#### Reference:

- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पत्रांक SHSB/PM/42/05-4437 दिनांक 26.09.2007 (For Option B)
- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पत्रांक SHSB/GA/1250/14-429 दिनांक 19.01.2016 (For Option C and D)
- परिवार कल्याण ऑपरेशन हेतु प्रोत्साहन राशि आशा/आँगनबाड़ी की भांति विकास मित्र एवं जीविका सहेली को भी दिया जाना है (राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 5516 दिनांक 25.08.2015 का संदर्भ करें)।
- Consent Form, Medical Checklist, Post Operative Instruction Card and Sterilization Certificate as issued vide SHSB Letter No. SHSB/PM/42/05/-V/5682 Dt. 02-09-2015.
- Documentation हेतु देय राशि सभी संबंधित दस्तावेजों (Consent Form, Medical Check List एवं निदेश कार्ड) की संधारण उपरान्त देय होगा। समय सीमा अथवा जांचोपरान्त बंध्याकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना भी संबंधित व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी।
- लाभार्थी के स्वयं उत्प्रेरित हो कर बंध्याकरण सेवा प्राप्त करती है तो उन्हें क्षतिपूर्ति राशि ₹2000/- के अतिरिक्त ₹300/- अर्थात् कुल ₹2300/- की राशि देय होगा।

**नोट:** वित्तीय वर्ष 2015-16 का भुगतान लंबित है तो वित्तीय वर्ष 2016-17 में कर्णांकित राशि से भुगतान किया जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का नाम - डा० मो० सज्जाद अहमद/निशांत कुमार  
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 9473199393/9431005971

MP  
DD-FF

SP, FF

PA

कार्यक्रम का नाम : पुरुष नसबंदी के लिए क्षतिपूर्ति राशि (Compensation for Male Sterilization) (Revised -पटना जिला को छोड़कर)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष- A.3

बजट क्रम संख्या : एफ०एम०आर० कोड संख्या - A.3.1.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत लाभार्थी, प्रेरक एवं सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति/प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

इस संदर्भ में संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक D.O. No. N. 11023/2/2016-F.P. दिनांक 10 नवम्बर 2016 के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत लाभार्थी, प्रेरक एवं सेवा प्रदाताओं को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति/प्रोत्साहन राशि को निम्नांकित तालिकानुसार 10 नवम्बर 2016 के प्रभाव से दिया जाना है:

सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों हेतु: (सभी राशि रुपये में)

SN	Procedure	Vasectomy (पुरुष नसबन्दी)
	Details of the package	संशोधित दर
1	Acceptor	3000
2	Motivator/ASHA	400
3	Drugs and dressings	50
4	Surgeons' Compensation	400
5	Anaesthetist/Assisting MO (if any)	-
6	Nurse/ANM	40
7	OT technician/helper	40
8	Cleark/documentation	30
9	Refreshment	20
10	Miscellaneous	20
<b>Total</b>		<b>4000</b>

B. प्रत्यायित निजी नर्सिंग होम में पुरुष नसबंदी हेतु निचे तालिका के अनुसार वर्णित राशि सभी जिलों (पटना जिला को छोड़कर) में देय है।

निजी प्रत्यायित सेवा प्रदाता हेतु (सभी राशि रुपये में)

S.N.	Procedure	Vasectomy
1	Facility	2500
2	Acceptor	1000
<b>Total</b>		<b>3500</b>

प्रत्यायित निजी नर्सिंग होम को नियमानुसार भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति से देय होगा। प्रत्यायित निजी नर्सिंग होम को नियमानुसार भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति से देय होगा। जिसके तहत संबंधित संस्थान में समपन्न किये गये नसबंदी ऑपरेशन के लाभार्थी का बैंक पासबुक की छायाप्रति जिला स्वास्थ्य समिति में सभी उपयुक्त दावा दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तदनोपरान्त जिला स्वास्थ्य समिति संबंधित लाभार्थी को प्रस्तुत किये गये सूची एव पासबुक का मिलान करते हुये उनके खाते में देय राशि प्रति लाभार्थी 1000/- जमा करायेंगे। तत्पश्चात् ही उक्त संबंधित संस्था को लाभार्थी के अनुसार प्रति केस 2500/- की राशि दिया जाना है।

DD-FP

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

- C. निजी सर्जरी टीम जो कि पुरुष नसबंदी सेवाएँ सरकारी संस्थानों में जाकर देते हों तो इसके तहत निम्नांकित राशि देय है:

(Max. 30 cases/ day)	Vasectomy
Acceptor	3000
Motivator/ASHA	400
Clerks/documentation	30
Private Provider	570
TOTAL	4000

लाभार्थी के Pre Operative Examination, Operation, Post Operative Care की पूर्ण जबावदेही प्रत्यायित निजी संस्थान की होगी तथा लाभार्थी के Mobilization, Camp Management, Documentation एवं क्षतिपूर्ति राशि इत्यादि का भुगतान की पूर्ण जबावदेही संबंधित सरकारी स्वास्थ्य संस्थान की होगी।

- D. निजी चिकित्सक (सर्जन) जो सरकारी संस्थान में सरकारी टीम की सहायता से परिवार नियोजन सेवा प्रदान करते हों तो इसके तहत निम्नांकित प्रतिपूर्ति राशि देय है:

	Vasectomy
Only Surgery	400
Local Anaesthesia/Anaesthetist	-
Total	400

लाभार्थी के Mobilization, Pre Operative Examination, Post Operative Care, क्षतिपूर्ति राशि इत्यादि का भुगतान तथा सर्जन के अलावे ऑपरेशन से संबंधित सभी प्रकार के उपयुक्त व्यवस्था की पूर्ण जबावदेही संबंधित सरकारी स्वास्थ्य संस्थान की होगी।

#### Reference:

- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पत्रांक SHSB/PM/42/05-4437 दिनांक 26.09.2007 (For Option B)
- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पत्रांक SHSB/GA/1250/14-429 दिनांक 19.01.2016 (For Option C and D)
- परिवार कल्याण ऑपरेशन हेतु प्रोत्साहन राशि आशा/आँगनबाड़ी की भांति विकास मित्र एवं जीविका सहेली को भी दिया जाना है (राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 5516 दिनांक 25.08.2015 का संदर्भ करें)।
- Consent Form, Medical Checklist, Post Operative Instruction Card and Sterilization Certificate as issued vide SHSB Letter No. SHSB/PM/42/05/-V/5682 Dt. 02-09-2015.
- Documentation हेतु देय राशि सभी संबंधित दस्तावेजों (Consent Form, Medical Check List एवं निदेश कार्ड) की संधारण उपरान्त देय होगा। समय सीमा अथवा जांचोपरान्त बंध्याकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना भी संबंधित व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी।
- लाभार्थी के स्वयं उत्प्रेरित हो कर नसबंदी सेवा प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्षतिपूर्ति राशि ₹3000/- के अतिरिक्त ₹400/- अर्थात् कुल ₹3400/- की राशि देय होगा।

**नोट:** वित्तीय वर्ष 2015-16 का भुगतान लंबित है तो वित्तीय वर्ष 2016-17 में कर्णांकित राशि से भुगतान किया जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का नाम - डा० मो० सज्जाद अहमद / निशांत कुमार  
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 9473199393 / 9431005971

14  
00-FP

सज्जाद  
880,FP

880

**वित्तीय दिशा निर्देश 2016-17 Revised (पटना जिला को छोड़कर)**

कार्यक्रम का नाम : परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत PPIUCD संस्थापन हेतु सेवा प्रदाता (Service Provider) एवं लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष- A.3

बजट क्रम संख्या : एफ०एम०आर० कोड संख्या - A.3.2.3

**कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण**

परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से प्रसवोपरान्त IUCD संस्थापन को बढ़ावा दिया जा रहा है। विगत वर्षों में PPIUCD सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है तथा इस वित्तीय वर्ष में भी नये 84 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सूची संलग्न) पर विस्तारिकरण की योजना है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में किये गये PPIUCD संस्थापन के अनुरूप अनुमानित वृद्धि मानते हुये स्वास्थ्य संस्थानों (Delivery Point) को वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि उपावंटित की जा सकती है।

नये 84 Delivery Point जहाँ पर इस वित्तीय वर्ष में सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाना है पर संबंधित संस्थान पर हो रहे संस्थागत प्रसव का 5 प्रतिशत लाभार्थियों हेतु राशि उपावंटित की जा सकती है।

इकाई राशि -रूपया 150-/(एक सौ पचास रुपये)प्रति केस - सेवा प्रदाता को एवं  
रूपया 300/-/(तीन सौ रुपये) प्रति लाभार्थी

वित्तीय दिशा निर्देश : PPIUCD संस्थापन हेतु संबंधित सेवा पदाताओं (Medical officer/SN/ANM/LHV) को प्रति केस रु.150/-प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाना है।

PPIUCD संस्थापन हेतु लाभार्थी को 300/- की राशि Incidental Cost एवं दो Followup Visit के लिए यात्रा भत्ता के रूप में 10 नवम्बर 2016 के प्रभाव से दिया जाना है।

**Reference:**

1. पत्र संख्या सं० एस०एच०एस०बी०/एम०सी०एच०/91/10/Part II/357 दिनांक : 18.01.2014 के माध्यम से इस गतिविधि के लिए दिशा निदेश भेजी गई है वर्तमान में भी इसी दिशा निर्देश का अनुपालन किया जाना है।
2. राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा उपलब्ध कराये गए IUCD/PPIUCD कार्ड को भरते हुये संबंधित लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि क्षेत्र में आईयूसीडी संस्थापन के निरीक्षण के दौरान IUCD कार्ड लाभार्थियों के पास भी देखा जा सके।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा उपलब्ध कराये गये PPIUCD Insertion एवं Follow up रजिस्टर का संधारण संबंधित संस्थान द्वारा किया जाना है।

नोट: PPIUCD संस्थापन हेतु किसी सेवा प्रदाता का वित्तीय वर्ष 2015-16 का भुगतान लंबित है तो वित्तीय वर्ष 2016-17 में कर्णांकित राशि से भुगतान किया जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का नाम - डा० मो० सज्जाद अहमद /निशांत कुमार  
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 9473199393/9431005971

DD-FP

SPD, P

AM